कार्यालय सेनानायक 32 वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर रोड लखनऊ – 226023
फोनः+91–2436903, सीयूजी+919454400366, फैक्सः+91–2436903 ई–मेल– compac32@ uppac.net
पत्रसंख्याः व– 68/2023 दिनांक– मई ,2023

निविदा

32वीं वाहिनी पीएसी सरोजनीनगर लखनऊ के परिसर में जवानों एवं उनके परिवारीजनों के कल्याणार्थ सब्जी, फल आदि की दुकान/शाप ठेके पर संचालित कराये जाने हेतु मुहरबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आमंत्रित की जाती है। इस शाप/दुकान से ताजी सब्जी/फल इत्यादि की बिक्री की जायेगी।

1– निविदा निर्धारित प्रारूप में ही प्रेषित किया जायेगा, जिसका प्रारूप कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में रू0 500/– नकद देकर प्रधान लिपिक कार्यालय 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ से प्रिप्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा मुहरबन्द लिफाफे के ऊपर अपना नाम, स्थाई पता तथा **''सब्जी/फल की शाप के लिए टेण्डर''** अवश्य लिखा जाये। टेण्डर डालने वाला व्यक्ति यह स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि **''उसके द्वारा किसी संस्थान में ठेके पर सब्जी/फल बेचने का कोई अनुभव प्राप्त हो'' अथवा उसे सब्जी/फल की दुकान चलाने का कितना अनुभव पूर्व से प्राप्त है।**

2– निविदा प्रपत्र/फार्म प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31 –05/2023 को प्रातःकाल 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक निर्धारित की गयी है। निविदा फार्म/प्रपत्र प्राप्त करने के उपरान्त निविदा मुहरबन्द लिफाफे में जमा करने की तिथि 02–06–2023 की सायंकाल 14..00 बजे तक होगी। उसी दिन निविदा सायंकाल 14.00 बजे सभी निविदादाताओं के मध्य उप सेनानायक, शिविरपाल तथा सूबेदार सैन्य सहायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ की समिति के समक्ष खोली जायेगी। समस्त निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रहेगें

3– प्रत्येक निविदादाता के द्वारा निविदा के साथ रू0 5,000–00(रू0 पांच हजार) की अर्नेस्ट मनी के रूप में एफ0डी0आर0 अथवा सी0डी0आर सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के पदनाम से बन्धक कराकर जमा करना होगा।

4– **निविदादाता प्रत्येक दिन बेची जाने वाली ताजी सब्जी/फल आदि की मूल्य सूची को टांगेगा।**

5– निविदा स्वीकृत हो जाने पर जमानत के रूप में रू0 15,000–00(रू0 पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि एफ0डी0आर0 अथवा सी0डी0आर0 सेनानायक 32वी वाहिनी पीएसी लखनऊ के पदनाम से बन्धक कराकर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) रू0 100–00 नान जूडिश्यल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना होगा।

6– सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह कोई भी निविदा स्वीकार कर सकते है। अस्वीकृत की गयी निविदा के लिए सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगें।

7– यदि निविदा स्वीकृत के बाद सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) नहीं भरता है अथवा जमानत की राशि नहीं जमा करता है तो उसकी अर्नेष्ट मनी जब्त करते हुए दूसरी न्यूनतम मूल्य निविदा स्वीकृत की जा सकती है।

निविदा की शर्ते

1— सेन्ट्रल एमिनिटीज फण्ड में निश्चित माहवारी रिबेट देने की धनराशि रू0 10000—00 निर्धारित तथा निविदादाता द्वारा अपने निविदा में अंकित किये गये सामानों के दर के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

2— ठेकेदार को निम्नलिखित शर्तो पर आधारित एक अनुबन्ध पत्र भरता होगा।इसलिए वहीं व्यक्ति निविदा प्रेषित करें, जिसको यह शर्ते स्वीकार हो। रिबेट के अतिरिक्त ठेकेदार को निम्न चार्जेज देने होगें।

3— ठेकेदार शाप/दुकान में अथवा उसके आस—पास किसी प्रकार का निर्माण अथवा परिवर्तन सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ की अनुमति के बिना नहीं करायेगा।

4— वाहिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिजली मीटर की रीडिंग के अनुसार बिजली का बिल देना होगा।

5— सेनानानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के अनुमोदन पर ठेकेदार ठेकेदार सब्जी/फल की शाप/दुकान में स्वच्छता आदि से सम्बन्धित आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए बाध्य होगा।

6— यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सब्जी/फल की दुकान का आशय/ध्येय पीएसी के कर्मचारी के परिवारीजन को सुविधा उपलब्ध करायी जानी है न कि धनोपार्जन करना है।

7— ठेकेदार पीएसी के प्रत्येक कर्मचारी के परिवारीजनों को बाजार रेट से कम दामों पर सब्जी/फल उपलब्ध करायेगा।

8— ठेकेदार वाहिनी के किस कर्मचारी अथवा उसके परिवारी जनों को सब्जी/फल उधारी के तौर पर नहीं देगा, यदि देता है तो **सेनानायक किसी भी प्रकार की उधारी की अदायगी के लिए जिम्मेदार नही होगें।**

9— ठेकेदार शाप/दुकान में किसी प्रकार की कोई नशीली, वस्तु, तस्करी आदि का सामान नहीं रखेगा और न ही वासी सब्जी/फल की बिकी करेगा।

9— ठेकेदार शाप/दुकान में कोई रोगग्रस्त व नाबालिग नौकर नहीं रखेगा।

10— ठेकेदार सब्जी व फल आदि वस्तुओं को अत्यन्त सफाई के साथ ढककर रखेगा।

11— सब्जी, फल की शाप/दुकान पर किसी भी समय कोई भी राजपत्रित अधिकारी बिना कोई सूचना दिये निरीक्षण कर सकता है।

12— ठेकेदार सब्जी, फल की बाजार रेट से कम मूल्यों की सूची को ऐसे स्थल पर लटकायेगा/टांगेगा जिससे कर्मचारी अथवा उसके परिवारी जन को आसानी से पढने में दिखाई दे।

13— ठेकेदार साफ—सफाई का विशेष ध्यान रखेगा, गन्दगी परिलक्षित नहीं होनी चाहिए।

14— ठेकेदार सब्जी, फल की शाप/दुकान का ठेका किसी दूसरे व्यक्ति नहीं दे सकता है।

15— ठेकेदार अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, सडी—गली सब्जी, फल बेचता है पर्याप्त सफाई नहीं रखता है, बाजार से अधिक दाम/रेट पर सामान बेचने की शिकायत मिलने पर अथवा वाहिनी के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ ठेकेदार पर रू0 500/— तक जुर्माना एक समय में लगा सकता है।

16— यह ठेका एक वर्ष के लिए होगा और सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए ही ठेका किसी भी समाप्त करने के लिए अधिकार होगा।

(जय प्रकाश)
सेनानायक,
32वीं वाहिनी पीएसी,
लखनऊ

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1— जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ।
2— समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन्स उ0प्र0।
3— समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उ0प्र0 लखनऊ।
4— पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ।
5— कमिश्नरेट लखनऊ को व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु।
6— पुलिस अधीक्षक बाराबंकी/उन्नाव/रायबरेली/सीतापुर/हरदोई।
7— सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी लखनऊ।
8— कन्ट्रोल रूम पीएसी मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि निविदा का प्रकाशन उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
9— शिविरपाल 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को प्रचार—प्रसार एवं एक प्रति वाहिनी के नोटिसबोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।